न्यायालय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण सं. .. / 2017 / प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक :– 7.09.2017

अनवान

श्रीमती पारश्री देवी पत्नी हुकमा राम माली निवासी ओटा तहसील भीम

———वादिया

बनाम

1. श्री किशन सिंह पिता पूनम सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
2. श्री हीरा सिंह पिता पूनम सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
3. श्री गणेश सिंह पिता पूनम सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
4. श्री लाल सिंह पिता पूनम सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
5. श्री प्रेम सिंह पिता हजारी सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
6. श्री मूल सिंह पिता हजारी सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
7. श्री मिठू सिंह पिता वरद सिंह पिता हजारी सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
8. श्री हुकम सिंह पिता हजारी सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
9. श्री नारायण सिंह पिता हजारी सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़
10. श्री दीप सिंह पिता गुलाब सिंह रावत निवासी शक्करगढ़ मझरा डांग तहसील देवगढ़

——प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री लुम्बसिंह वकील वादी

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम शक्करगढ़ पटवार हल्का ... तहसील देवगढ़ में प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या ..4 आराजी न. 852 रकबा 9.06 बीघा है उक्त भूमि पर प्रार्थीया का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है ... काश्त करती आ रही है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा

सहायक कलक्टर
जिला–राजसमन्द

[illegible] नहीं होने से विपक्षीगण जो उक्त भूमि की सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है हर समय फसल बुवाई [illegible] कटाई के सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीया को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी के लिए [illegible] रहता है मौके पर अशान्ति रहती है प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त भूमि का [illegible] वगैरह नही कर पा रही है यदि प्रार्थीया की उक्त भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है [illegible] फसल बुवाई एवं कटाई के समय विपक्षीगण से जो विवाद होता है वह हमेशा हमेशा के लिए [illegible] जाएगा तथा प्रार्थीया शान्ति पूर्वक काश्त वगैरह भूमि का उपयोग–उपभोग कर सकेगी। अतः [illegible] उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करांने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन [illegible] गये। प्रत्युत्तर में विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित [illegible] प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाही जिस पर विपक्षी संख्या 1 से [illegible] कार्यवाही ड्रॉप की गयी। विपक्षी संख्या 6 से 10 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी [illegible] 6 से 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की वकील प्रार्थी [illegible] सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम शक्करगढ़ पटवार हल्का मियाला में [illegible] की खातेदारी व कब्जे की भूमि स्थित है जिसके आराजी नं. 852 रकबा 9.02 बीघा है प्रार्थीया के उक्त [illegible] चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही है जिससे प्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की [illegible] लगते हुए पडौसी है हर समय फसल बुवाई एवं फसल कटाई के प्रार्थीया की भूमि में घुस जातें है [illegible] प्रार्थीया की फसल काट लेतें है कभी प्रार्थीया की भूमि को हांक देते है इस समस्या का स्थाई समाधान [illegible] से ही हो सकता है। प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा [illegible] समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीया उसकी भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर [illegible] प्रार्थीया की उक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम शक्करगढ पटवार हल्का [illegible] तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 174 ख.नं. 852 रकबा 9.06 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये [illegible] है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा [illegible] पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] से कम की जावे।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द